अध्याय 6
रॉलिंग स्टॉक

रेलवे बोर्ड स्तर पर, सदस्य रॉलिंग स्टॉक, कार्यशाला और उत्पादन इकाईयों (लोकोमोटिव से अलग) सहित यांत्रिकी विभाग के इंचार्ज हैं। इएमयू/एमइएमयू से संबंधित कार्य और सभी कोचिंग स्टॉक का विद्युतीय अनुरक्षण भी सदस्य रॉलिंग स्टॉक की जिम्मेदारी है।

क्षेत्रीय स्तर पर, मुख्य यांत्रिकी अभियंता (सीएमई) सभी कोचों, माल भाड़ा स्टॉक आदि के पूर्ण पर्यवेक्षण और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यशाला अभियंता (सीडब्ल्यूई), रॉलिंग स्टॉक और संबंधित मदों के अनुरक्षण से संबंधित कार्यशालाओं की कार्य प्रणाली के इंचार्ज हैं। रेलवे बोर्ड में सदस्य रॉलिंग स्टॉक को रिपोर्ट करते हुए, महाप्रबंधक द्वारा उत्पादन इकाईयों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यशाला में रॉलिंग स्टॉक (कैरिज और वैगन और संयंत्र और उपकरण) के अनुरक्षण एवं मरम्मत और रॉलिंग स्टाक और उपकरण पर प्रचालन कुल राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 14,515.15 करोड़[185] और ₹ 11,681.82 करोड़[186] था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान कोचों की उत्पादन इकाई में पूंजीगत व्यय ₹ 295.08 करोड़[187] था। वर्ष के दौरान, वाऊचर और टैंडर की नियमित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त यांत्रिकी विभाग के 664 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था।

इस अध्याय में दाहोद कार्यशाला में 'पीओएच के योग्य नहीं' वैगनों के प्राप्ति को दर्शाते हुए एक पैराग्राफ रखा गया है।

---

[185] अनुदान सं. 06 2016-17 हेतु कैरिज और वैगन की मरम्मत और अनुरक्षण और अनुदान सं. 07 के लघु शीर्ष 300 संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण

[186] अनुदान सं. 08 प्रचालन व्यय - 2016-17 के लिए रॉलिंग स्टॉक और उपकरण

[187] आईसीएफ, चैन्नै, आरसीएफ, कपूरथला और एमसीएफ, रायबरेली

6.1 पश्चिम रेलवे (प.रे.): दाहोद कार्यशाला में 'पीओएच के योग्य नहीं' वैगन की प्राप्ति के कारण इन वैगन के अवरोध और इसके परिणामस्वरूप क्षमता की हानि

पीओएच के योग्य वैगनों को ही कार्यशाला में भेजना चाहिये। ये कार्यशाला स्टाफ द्वारा उचित निरिक्षण और अनुमोदन के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए। यद्यपि, जून 2013 से मार्च 2017 तक, पीओएच के योग्य 434 वैगन दाहोद कार्यशाला में प्राप्त किये गये थे। ये वैगन परिचालनात्मक गतिविधियों में बाधा पहुँचाई क्योंकि उन्होंने कार्याशालाओं में ट्रैक को घेर रखा था और लंबी अवधि हेतु कार्याशालाओं में रखे जाने के बाद उन पर कोई कार्य न किये बिना जोनल रेलवे को वापस कर दिये गये। इसके परिणामस्वरूप अवरोध के कारण ₹ 16.46 करोड़ की संभावित अर्जन क्षमता की परिहार्य हानि हुई।

स्वयं और अन्य रेल से प्राप्त वैगनों की आवधिक ओवरहोल (पीओएच) पश्चिम रेल की दाहोद कार्यशाला में की जाती है। अग्रलिखित निर्देश कार्यशाला में पीओएच के लिए वैगन भेजने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये हैं:

(i) रेलवे बोर्ड के निर्देशों (अक्टूबर 1994) के अनुसार, बॉडी/फ्लोर पर अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले फ्रेम के अंतर्गत आवाज करने वाले 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में लोड करने लायक वैगन को ओपन लाईन के रेल गाड़ी परीक्षक/मुख्य कार्यशाला पर्यवेक्षण द्वारा 'ग' श्रेणी के रूप में चिन्हित करना आवश्यक है, एवं उने पुन: निर्माण के लिए दाहोद, जमालपुर या चारबाग कार्यशाला में भेजा जाता है।

(ii) जुलाई 2013 में, रेल बोर्ड ने मुख्य यांत्रिकी अभियंता पश्चिम रेल को निर्देश दिया कि पीओएच कार्यशाला वैगन के नियमित ओवरहोल (आरओएच) को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि पीओएच के लिए वैगन यार्ड में प्रतिक्षित थे। यदि, ऐसे वैगन यदि पीओएच लोड के साथ भेजे गये हैं, कार्यशाला को आरओएच नहीं रखने चाहिए और बिना किसी कार्रवाई के 'पीओएच के योग्य नहीं' के रूप में बाहर कर देना चाहिए। यह भी दोहराया गया कि 'ग' श्रेणी के लोड न करने योग्य वैगन एक वर्ष के अंदर पीओएच योग्य है, जिसे मई 2006 में तीन महीने में संशोधित किया गया था, को छोड़कर कार्यशाला को नहीं भेजना चाहिए।

(iii) मुख्य रॉलिंग स्टॉक अभियंता/मालभाड़ा और प्रचालन/चर्च गेट (सीआरएसई/एफ एंड ओ/सीसीजी) ने सभी संबंधित अधिकारियों को, यह नियम को मानने के लिए निर्देश दिये (जनवरी 2014) कि जो दाहोद कार्यशाला के स्टाफ द्वारा निरीक्षित और अनुमोदित है, उसी लदान को ही पुनरूद्धार के लिए स्वीकृत करे।

दाहोद कार्यशाला के रिकॉर्ड की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पीओएच के योग्य नहीं लोड न करने योग्य वैगन, जुलाई 2013 के रेलवे बोर्ड के निर्देश का उल्लंघन करते हुए, कार्यशाला में नियमित रूप से प्राप्त किये गये। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सीआरएसई/एफएंडओ/सीसीजी द्वारा जारी किये गये निर्देशों के बावजूद, निरीक्षण और अनुमोदन, पीओएच के लिए वैगन स्वीकार करने से पहले कार्यशाला स्टाफ द्वारा नहीं दिया गया था। इसके कारण 'पीओएच के योग्य नहीं' वैगन की प्राप्ति हुई और इसके परिणामस्वरूप कार्यशाला में ऐसे वैगन इक्ट्ठे हो गये। इसके अतिरिक्त, ऐसे वैगन यातायात विभाग द्वारा विलंबित विस्थापन के कारण रोक लिये गये। ये वैगन कार्यशाला के अंदर टैक को घेरे हुए थे जिससे प्रचालनात्मक गतिविधियों में भी अवरोध हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2013 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान पीओएच के योग्य नहीं कुल 434 वैगन कार्यशाला में प्राप्त किये गये, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.1 - पीओएच के लिए शेष न बचे प्राप्त किये गये वैगन की वर्ष वार संख्या

वर्ष	*पीओएच के लिए शेष न बचे प्राप्त किये गये वैगन की वर्ष वार संख्या*
जुन 2013 से मार्च 2014	30
2014-15	0
2015-16	278
2016-17	126
कुल	**434**

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- 81 वैगन, 30 दिनों से अधिक के अवरोधन के बाद कार्यशाला से हटाये गये।
- 35 वैगन, 15 से 30 दिनों के बीच के विलम्ब के बाद हटा दिये गये।
- पीओएच के योग्य नहीं 318 वैगन, 14 दिनों तक अवरूद्ध रहे।

- कार्यशाला में 1126 दिनों तक ये वैगन अवरूद्ध रहे, जिसके कारण ₹ 16.46 करोड़ की संभावित अर्जन की हानि हुई।
- इसके अतिरिक्त, सात वैगन, जो 'पीओएच के योग्य नहीं' थे, वापस भेजा गया क्योंकि ये जुलाई से जून 2014 के दौरान कार्यशाला में दोबारा प्राप्त किये गये थे।

रेल प्रशासन ने यह मामला देखने पर उन्होंने कहा (दिसम्बर 2015) कि ये वैगन ओपन लाईन सिक डिपो के स्थानातंरण के लिए थे, परंतु यातायात विभाग द्वारा नहीं लिये गये थे। ये स्तिथि जारी रही और 173 वैगन, जो कि 'पीओएच के योग्य नहीं थे, जनवरी 2016 से मार्च 2017 के दौरान कार्यशाला में 38 दिनों तक रखे गये थे।

इस प्रकार, निर्दिष्ट प्रक्रियाओं/निर्देशों की गैर अनुपालना सहयोग की कमी और दाहोद कार्यशाला द्वारा प्रभावी निगरानी के अभाव के कारण वैगन का परिहार्य अवरोध हुआ और परिणामस्वरूप संभावित अर्जन की हानि हुई।

1 सितम्बर 2017 को रेल बोर्ड के ध्यान में यह मामला लाया गया था। रेलवे बोर्ड ने उत्तर में कहा (13 नवम्बर 2017) कि दाहोद कार्यशाला के पीओएच/आरओएच के योग्य नहीं वैगनों की बुकिंग से बचने के लिए, सभी कार्य शालाओं और ओपन लाईन को निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कार्यशाला में वैगन, जिन्हें पीओएच के लिए सही ढंग से बुक किया गया है, का अवरोध रोकने के लिए बाधाएं जैसे सामान की उपलब्धता और क्षमता संवर्धन पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि गैर-प्रभावी प्रतिशतता,चार प्रतिशत की निर्दिष्ट सीमा के अंदर थी, रेलवे को कोई हानि नहीं हुई।

लेखापरीक्षा का विचार है कि दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पीओएच के योग्य नहीं वैगनों की कार्यशाला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाय। निरीक्षण और अनुमोदन की जांच करके, वैगन का अवरोधन कम किया जा सकता है और प्रचालनों में कुशलता लाई जा सकती है।